आपके बच्चे और परिवार पर

शारीरिक सज़ा का प्रभाव



हैरो काउन्सिल बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने, उनकी सहायता करने, उनकी रक्षा करने और वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर पाए यह सुनिश्चित करने के लिए परिवारों

सभी माता-पिता समय समय पर दबाव और तनाव से गुज़रते हैं और इसके चलते उन्हें बहुत गुस्सा आए यह संभव है। हालाँकि, अपने बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए शारीरिक सज़ा करना कभी भी प्रभावी तरीका नहीं हो सकता है।

"दैहिक" अथवा "शारीरिक" सज़ा ऐसी कोई भी सज़ा है जिसमें बलप्रयोग होता है और उसका उद्देश्य कुछ हद तक दर्द अथवा असुविधा पहुँचाना होता है, भले ही वो हल्का-सा क्यों न हो। आम तौर पर हाथ से या चाबुक, सोटी, पट्टा, जूता, लकड़े का चमचा आदि वस्तुओं से बच्चों को मारा जाता है ("तमाचा मारना", "थप्पड़ रसीद करना", "झापड़ मारना")। परंतु, इस में उदाहरण के तौर पर, बच्चे को लात मारना, हिलाकर रख देना अथवा उठाकर फेंक देना, खरोंच लगाना, चिकोटी काटना, दांत से काटना, बाल खींचना अथवा कान पर घूँसा मारना, बच्चों को असुविधा हो ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर करना, झुलसाना, जलाना अथवा जबरदस्ती कुछ मुँह में ठूँसकर भरना आदि सज़ाएँ शामिल हो सकती हैं (बच्चों के अधिकार पर बनी समिति, 2006)। अन्य किसी वयस्क आदमी को आपके बच्चे को शारीरिक सज़ा करने की अनुमति देना भी एक अपराध है।

आपके बच्चे पर पड़ने वाले 5 मुख्य प्रभाव:

शारीरिक

- कुछ भी शारीरिक हानि पहुँचाना: चीरा करना, चोट पहुँचाना, त्वचा का लाल होना, खरोंच आना, सूजन, हड्डियाँ टूटना।

ज्ञानात्मक

- गृहकार्य करवाने के लिए अपने बच्चे को मारने से उसके मन में गृहकार्य और चिंता व दर्द के बीच में एक संबंध होने की मान्यता प्रस्थापित हो सकती है। इससे सीखने के मार्ग में बाधा आ सकती है।
- पाठशाला में एकाग्रता का अभाव।
- आपके बच्चे की शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसके चलते उनकी अभिलाषाएँ और भविष्य के विकल्प सीमित हो सकते हैं।

Harrow COUNCIL LONDON

भावात्मक

- मानसिक हानि: चिंता, अलग पड़ जाना, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचना, आत्मविश्वास में कमी, डिप्रेशन और स्वयं के लिए हानिकारक बर्ताव।
- भावनाओं को व्यक्त करने और उन पर काबू रख पाने में तथा अन्यों की भावनाओं को समझने में परेशानी होना।
- बच्चे को मारा जाए तो वह समझता है कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं। शारीरिक सज़ा से बाद में आपका बच्चा जीवन में पछताए यह संभव है, जिससे आपके लंबी अवधि के संबंध और पारिवारिक समीकरणों पर प्रभाव पड़ सकता है।

बर्ताव से संबंधित

- ऐसा स्वीकार करना कि हिंसा करना ठीक है: यदि बच्चे की परवरिश हिंसा से भरे वातावरण में की गई हो तो बच्चा यह मानने लगता है कि हिंसा करना ठीक है।
- यदि आप मारोगे तो बच्चा भी मार सकता है और फिर आपसे शायद डरेगा, लेकिन आपका आदर कभी नहीं करेगा।
- बच्चों में आक्रामक बर्ताव बढ़ना: भाई-बहन और दोस्तों के साथ झगड़ना, हिंसा से समस्या का हल खोजना, लोगों का ध्यान खींचने वाला बर्ताव।
- जिनको मार पड़ती है ऐसे बच्चों को शायद लगता है कि हमें हमारी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है, इसलिए हम दोबारा गलती करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे बच्चे को कभी पछतावे की भावना नहीं होती, जो भविष्य में बरे बर्ताव को रोकने के लिए आवश्यक है।

आपराधिक मानसिकता

- शारीरिक सज़ा के कारण व्यक्ति नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीन हो सकता है और प्रशासनिक व्यक्तिओं के विरुद्ध उसके मन में शत्रुभाव पैदा हो सकता है।
- असामाजिक बर्ताव के जोखिम में वृद्धि। इससे आपके बच्चे के नाम पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है, जिसके कारण उसका पूरा भविष्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
- वयस्कता में हिंसा और आपराधिक बर्ताव में वृद्धि, घरेलू हिंसा समेत।

Harrow COUNCIL LONDON

शारीरिक सज़ा का अर्थ है गलत काम करने के लिए बच्चे को सज़ा करने अथवा अपनी मरज़ी का काम करवाने के लिए (जैसे गृहकार्य) किसी भी प्रकार के शारीरिक बल का प्रयोग करना।

बच्चों को मारने अथवा शारीरिक सज़ा देना बिलकुल भी उचित नहीं है। कड़ी सज़ा से हमेशा परिस्थितियाँ अधिक खराब होती हैं।

परवरिश के लिए कुछ और रणनीतियाँ भी हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने बच्चे को अनुशासन सिखा सकते हैं। सकारात्मक रणनीतियों से भी छोटी और लंबी अवधि के लिए आपके बच्चे के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं।

अपने बच्चे को शारीरिक तौर पर सज़ा देना, फिर चाहे चोट आए या न आए, एक अपराध है। इसके परिणामस्वरूप, आपको चेतावनी देने से या आपके विरुद्ध आरोप लगाने का निर्णय लेने से पहले पुलिस आपकी पूछताछ कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है और आपको पुलिस स्टेशन पर रोका जा सकता है। यदि अदालत में आप पर आरोप सिद्ध होते हैं तो इसके परिणामस्वरूप आपको दंड हो सकता है, समाज सेवा करनी पड़ सकती है अथवा कारावास हो सकता है। इसके बाद आपके नाम से एक आपराधिक रिकॉर्ड जुड़ जाएगा, जिसके चलते आपकी नौकरी और प्रवास संबंधित नियंत्रण पर बुरे असर हो सकते हैं।

सामान्य हमला (*क्रिमिनल जस्टिस ऐक्ट 1988)* - अधिकतम सज़ा 6 महीने।

ऐसा हमला जिससे वास्तव में शारीरिक चोट आए (*व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का कानून 1961)* – पांच साल की कैद।

ऐसा हमला जिससे चोट आए अथवा गंभीर रूप से शारीरिक हानि हो (*व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का कानून 1861)* – पांच साल की कैद।

हैरो में माता-पिता के लिए कई प्रकार की सहायता उपलब्ध हैं:

1) परवरिश के विषय में सलाह और सहायता के लिए आप प्रारंभ में अपने बच्चे की पाठशाला अथवा स्थानीय चिल्ड्रन्स सेन्टर का संपर्क कर सकते हैं।
2) परवरिश के कार्यक्रम और ड्रॉप-इन सेशन समेत परवरिश हेतु सहायता पाने के लिए कृपया हमारी MASH टीम के जरिए 020 8901 2690 नंबर पर हमारी अर्ली इन्टरवेन्शन सर्विस से संपर्क करें।
3) यदि आपको चिंता है कि बच्चे पर गंभीर नुकसान का खतरा है तो आप 0208 901 2690 पर हैरो चिल्ड्रन्स सर्विसेज़ का संपर्क करे यह अनिवार्य है (ऑफिस बंद होने के बाद: 0208 424 0999).